<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2013 दायर दिनांकः 08/02/2013

उनवान

1. रामकरण पुत्र श्री प्रभू मीणा जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90,91,92,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 26/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम छत्रपुरा तह० अटरू जिला बारां में आराजी खसरा नं0 946 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 942 रकबा 1.33 है0 स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 942 रकबा 1.33 है0 का साबिक खसरा नं0 606/680 रकबा 15 बीघा था तथा खसरा नंबर 606/680 रकबा 15 बीघा वादी के पिता प्रभू पुत्र गोविन्दा कौम मीणा निवासी बलदेवपुरा को दिनांक 20.12.1978 को आवंटन की थी तथा इन्तकाल नं0 75 से वादी के पिता प्रभू की गैरखातेदारी में दर्ज की गयी थी तब से ही वादी के पिता प्रभू उक्त आराजी को काश्त करते आ रहे थे तथा उनके मरने के बाद वादी [illegible]वादित आराजी पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। बाद सेटलमेन्ट विवादित आराजी [illegible]क खसरा नं0 606/680 रकबा 15 बीघा का नया खसरा नं0 946 रकबा 1.42 है0, खसरा [illegible] 942 रकबा 1.33 है0 [illegible]म करते समय खसरा नं0 946 रकबा 1.42 है वादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया लेकिन खसरा नं0 942 रकबा 1.33 है0 की किस्म खाल दर्ज करते हुये सिवायचक दर्ज कर दी गयी है। साबिक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar
Meena
Date: 2021.10.08 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

नं0 606/680 रकबा 15 बीघा का साधारण गुणन अनुसार रकबा 2.40 है0 बनता है। वादी की खातेदारी में खसरा नं0 946 रकबा 1.42 है ही दर्ज किया है, जो 0.98 है0 कम अंकित किया है। इस कारण वादी विवादित आराजी खसरा नं0 942 रकबा 1.33 है0 भूमि आराजी पर खातेदारी अधिकारों घोषणा करवा पाने का अधिकारी एवं नॉलशी है। विवादित आराजी पर वादी अपने पिता के जीवन काल से अर्थात 35 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर बिना रोक–टोक के काबिज काश्त चला आ रहा है इस कारण वादी का कब्जा विवादित आराजी पर 30 वर्ष से अधिक का कब्जा होने से वादी विवादित आराजी का स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुका है तथा वादी को उक्त आराजी पर हक मुखालपाना प्राप्त हो चुका है तथा इस आधार भी वादी/प्रार्थी विवादित आराजी को अपने नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। दिनांक 15.01.2013 को प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी है कि तुम खसरा नं0 1942 से अपना कब्जा हटा लेना वरना तुम्हारे विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की जावेगी। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु वादी प्रतिवादी विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालशी है। वाद कारण दिनांक 15.01.2013 को प्रतिवादी द्वारा वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम छत्रपुरा तह0 अटरू में पेदा हुआ। वाद पेश करने से पूर्व राज0 सरकार जरिये प्रतिनिधी जिला कलेक्टर बारां को नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुई है वाद आवश्यक प्रकृति का है प्रतिवादी वादी/प्रार्थी की विवादित आराजी से वादी को बेदखल करना चाहते है व वादी के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करने को आमादा है। इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के आवेदन के साथ वाद पेश है। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके ग्राम छत्रपुरा तह0 अटरू में स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना

अतः वादी प्रार्थी है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पाति फरमायी जावे :–

(क) वाके ग्राम छत्रपुरा तह0 अटरू में आराजी खसरा नं0 946 रकबा 1.42 है0,

खसरा नं0 942 रकबा 1.33 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में पृथक से वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित किया जावे।

(ग) प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी को 946 रकबा 1.42 है0, ख0नं0 942 रकबा 1.33 है0 शान्तिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे न ही ऐसा स्वयं करे, ना ही अपने प्रतिनिधियों/ कर्मचारियों से ऐसा करावे।

(घ) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब सरकार बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **Pw 1** के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सूनी गई, अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहरया तथा कथन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम छत्रपुरा तह0 अटरू में आराजी खसरा नं0 946 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 942 रकबा 1.33 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में पृथक से वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम छत्रपुरा संवत 2068—2071 खाता संख्या 97 के ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0 में वादी खातेदार दर्ज है जबकि वादी के पिता प्रभू पुत्र गोविन्दा को ग्राम छत्रपुरा की दिनांक 20.12.1978 को ख0नं0 606/680 रकबा 15 बीघा भूमि गैर खातेदारी में संवत 2036—2040 में दर्ज है। सेटलमेन्ट द्वारा ख0नं0 606/680 रकबा 15 बीघा का नया ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0, ख0नं0 942 रकबा 1.33 है0 बनाकर, ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0 वादी के खातेदारी में दर्ज कर दिया जो जमाबंदी संवत 2068—2071 प्रदर्श 2 से स्पष्ट है तथा ख0नं0 942 रकबा 1.33 है भूमि किस्म खाल दर्ज कर, सिवायचक दर्ज कर दी गई, जो प्रदर्श 8 से स्पष्ट है। जबकि 15 बीघा का 2.40 है0 बनता है। वादी के केवल ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0 भूमि ही दर्ज की गई, इस प्रकार वादी के 0.98 है0 भूमि खाते में कम दर्ज की गई, उक्त भूमि पर पूर्व में वादी के पिता व उनकी मृत्यु पश्चात वादी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट कार्मिकों को रकबा कम दर्ज करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 16:56:31 IST
Reason: SelfAttested

कोई विधिक अधिकार नही है। विवादित ख0नं0 946 के तीनों तरफ ख0नं0 942 किस्म गै0मु0 खाल, ख0नं0 948 किस्म गै0मु0 खाल, ख0नं0 947 किस्म बंजड है जबकि उत्तर दिशा में ख0नं0 943/1017 है, जो गोरधन पुत्र हीरा के खाते दर्ज है। अतः खसरा नक्शा, जमाबंदी एवं प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल के आधार पर स्पष्ट है कि वादी के वास्तविक रकबे में घटा हुआ रकबा ख0नं0 942 या 948 किस्म गै0मु0 खाल में बढा है।

अतः उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छत्रपुरा के ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0 तथा ख0नं0 942 रकबा 1.33 है0 मे से 0.98 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू मौका स्थिति की जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 12/2013

उनवान

1. रामकरण पुत्र श्री प्रभू मीणा जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90,91,92,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....र................. रूबरू...............र...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....र..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छत्रपुरा के ख0नं0 946 रकबा 1.42 है0 तथा ख0नं0 942 रकबा 1.33 है0 मे से 0.98 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू मौका स्थिति की जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**...................... मुबालिक ....**X**................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......**X**................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26/08/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	[illegible]र्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	मह[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	ख[illegible]वाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)